न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 21/2014

सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

.......प्रार्थी

बनाम

श्री हरिनारायण पुत्र श्री रामनारायण जाति ढोली निवासी ग्राम मोलकिया तहसील केकडी, जिला अजमेर।

......अप्रार्थी

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 12.04.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 02.02.2013 को ग्राम मोलकिया में आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा श्री हरिनारायण पुत्र श्री रामनारायण जाति ढोली निवासी ग्राम मोलकिया तहसील केकडी, जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम आमली के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1003 में से 0.73 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। तहसीलदार केकडी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि विवादित भूमि में मौके पर खड्डे है तथा भूमि काबिल काश्त नहीं है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए किन्तू काफी समय दिये जाने के बावजूद न तो जवाब नोटिस पेश किया न ही अप्रार्थी एवं उनके वकील उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने पैरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि प्रयोजनार्थ विवादित भूमि का आवंटन किया गया था, किन्तू हल्का पटवारी द्वारा आवंटित भूमि की रेकार्ड एवं मौका से जांच करने पर खड्डे है तथा भूमि काबिल काश्त नहीं होने से आवंटन योग्य नहीं है। पैरोकार सरकार ने कथन किया कि नाकाबिल काश्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता।

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

हमने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 27.08.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटित भूमि पर मौके पर खड्डे है तथा भूमि काबिल काश्त नहीं है। नाकाबिल काश्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 02.02.2013 को ग्राम आमली के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1003 में से रकबा 0.73 हैक्टर भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 12.04.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर अजमेर